सड़क और सरकार

"टोल" एक शुल्क है कोई कर नहीं

– एड. राकेश के. सिंह

अपना देश सिर्फ़ जनसंख्या को लेकर ही चैम्पियन बनने की तैयारी में नहीं है। इस मामले में भारत बस दो ढाई दशक बाद ही चीन को पछाड़ कर बहुत ही आगे निकलने वाला है। दूसरे नम्बर पर रखनेवाला दूसरा क्षेत्र है पथ और पथ निर्माण। लेकिन सड़कों की स्थिति और उनसे जुड़ी समस्याएँ इतनी जटिल और पेचीदगी भरी हैं कि आसन्न वर्षों में तो सुधार की गुंजाइश दीख नहीं रही। अतिक्रमण की समस्या तो जग–जाहिर है, लेकिन, उससे भी बड़ी और त्रासद है टोल और टोल टैक्स को लेकर सरकार और जनता के बीच की उलझी हुई गुत्थी। एक सत्य, किंतु चौंकानेवाली बात है कि टोल कोई टैक्स (कर) नहीं है, यह एक फी (शुल्क है), जो निजी स्तर से निर्मित पथ अथवा पथ–सेतु में खर्च हुई धनराशि की वसूली के निमित्त वसूला जाने वाला शुल्क है, एक फी है जिसे टोल टैक्स के रूप में सभी समझते हैं, जानते हैं। अब यह टैक्स नहीं हो, तो भी जनता को, राहगीरों को उस रस्ते से अपनी गाड़ियाँ निकालने के लिए पैसे तो देने ही पड़ते हैं' जाने के लिए भी और वापस होने के लिए भी। इन बातों की समझ आम आदमी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इसमें कई तरह के कानूनी और न्यायिक तर्क और बंध–उपबंध हैं। इन बातो को विधि के विधान से अर्थात कानूनी दृष्टिकोण से समझने क लिए हमने हमने बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट राकेश के. सिंह से सम्पर्क किया। टोल को लेकर फैली भ्रांतियों सहित कई अन्य व्यावहारिक और व्यावसायिका बिंदुओं पर भी अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने प्रकाश

डाला। प्रस्तुत है वरिष्ठ पत्रकार उमेश सिंह चंदेल से हुई एड. राकेश की बातचीत के सम्पादित अंश–

- **सर्वप्रथम, टोल टैक्स क्या है, क्यों है, स्पष्ट रूप में बताएँ?**

  सर्वप्रथम तो टोल ही कोई टैक्स ही नहीं है। यह एक फी है, जो उस सड़क या पुल से गुज़रने वाले मालिकों अथवा वाहन चालकों से वसूला जाता है। अब यह टैक्स नहीं है, करक नहीं है– एक फी है, शुल्क है– यह तो स्पष्ट हो गया। आगे आप यह भी जान लें कि शुल्क या फी क्यों हैं ?

- **क्यों है ऐसा, आप बताएँ?**

  क्योंकि जहाँ–जहाँ इस तरह के शुल्क आपको देने पड़ते हैं, वो सड़क या पुल सरकार अथवा सरकार का कोई उपक्रम उसे सीधी तौर पर नहीं बनाता... निजी कम्पनियों को बनाने की छूट और अपनी लागत ब्याज सहित वसूलने की व्यवस्था दी जाती है। इस स्थिति में वह कम्पनी निर्धारित करती है कि कितना और कब तक यह शुल्क वसूला जाना है। कुछ विसंगतियाँ यहीं पर हैं, जिससे टोल को लेकर आज की स्थिति बनी है।

- **क्या हैं वो विसंगतियाँ ?**

  टोल वाले पथवा अथवा पथ–सेतु आंगुतकों को आवागमन को आसान और सुखमय बनाने के लिए होते हैं। निर्माण कार्य उच्च स्तर का होता है यथा एक्सप्रेस हाई वे और इस तरह के निर्माण खर्च यदि सरकार उठाती है तो उसे बहुत बड़े आर्थिक बोझ उठाने होंगे तो उसका असर अन्य पब्लिक सेक्टर्स के काम

पर पड़ेगा। इसलिए ये काम निजी कम्पनियों को दी जाती हैं और कम्पनियाँ इन्हीं खर्चों की वसूली के लिए टोल फी लेती है, जिसे आप टोल टैक्स कहते हैं। यह तथा–कथित टैक्स सिर्फ लागत वसूली के लिए ही नहीं, अच्छी मेन्टैनेंस, अच्छी देखभाल के लिए भी होता है।

- **फिर यह हंगामा किस बात को लेकर होता है ?**

  हंगामे का मूल कारण इस प्रकरण में सरकार का सीधी तौर पर शामिल नहीं होना होता है। यद्यपि इन सड़कों अथवा पुलों का स्वामित्व निजी नहीं रहता, फिर भी, इनका निर्माण करने वालों पर सरकार का शिकंजा नहीं रहता। वह स्वतंत्र होते हैं, राशि की रकम और अवधि तय करने के लिए। वसूली में गड़बड़ियाँ इसी तरह की सुविधाओं को प्रदान करने से शुरू होती हैं।

- **वह कैसे, स्पष्ट करें** ?

  निर्माण में कितनी धनराशि लगी, उसकी वसूली में कितना समय लगेगा, अगर ब्याज सहित राशि वसूली जाए तो! इसका दर वाहनों के प्रकार के हिसाब से कितना होना चाहिए, सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन, ऐसा नही होता, क्योंकि सरकार की ओर से ना आदेश होता है और ना ही कोई अध्यादेश। निर्माणकर्ता को समय या राशि की सीमा में घेरा जा सके ऐसा कोई फरमान भी सरकार जारी नहीं करती, लिहाजा पैसा लगाने वाले वसूली करते जाते हैं, बस करते जाते हैं।

- **इसके हिसाब–किताब का कोई तरीका है** ?

किस टोल बूथ से वार्षिक वसूली कितनी हुई, ये तो आप जान सकते हैं, मगर कितना खर्च हुआ या फिर कितने दिन तक यह जारी रहेगा, ऐसा पता करना दुष्कर कार्य है।

- **क्यों ?**

  क्योंकि वसूली में भी कई पेंच पाये जाते हैं। निर्माण कम्पनी अगर सीधे रूप में या शुल्क वसूल नहीं करती, तो वह दूसरे को कॉन्ट्रेक्ट बेसिस पर दे देती है। लेने वाली पार्टी अपना मुनाफा कब तक वसूल कर पूरा करेगी, यह वही तय करेगी। इस बीच उसने भी आगे किसी पार्टी को यह जिम्मा दे दिया और अपनी तयशुदा राशि ले ली, फिर तो वसूली की समय सीमा स्वतः आगे बढ़ती जायेगी। आम आदमी को असली निर्माणकर्ता का पता नहीं, मतलब नहीं और वसूली करने वाले को लोगों से लेना देना नहीं। उन्हें तो उनकी पूँजी मुनाफा सहित वापस चाहिए।

- **इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता ?**

  आवाज़ तो जमाने से उठाई जा रही है। कोई सुनने वाला भी तो चाहिए। कामरेड गोविंद पंसारे इस टैक्स या फी को लेकर दर्शकों से कोल्हापुर और अन्य विदर्भ के क्षेत्रों में यह आंदोलन चलाते रहे हैं। उनकी उसी मुखर आवाज़ को शांत करने के लिए पिछले 16 फरवरी को उन पर और उनकी पत्नी उमा पंसारे पर गोलियों की बौछार किसी ने कर दी। श्री पंसारे शांत होकर, चिर निद्रा में चले गये। इस तरह के मुखर लोगों को यही सब झेलना पड़ता है। इसके पहले पूणे में सतीश शेट्टी

डॉ. नरेन्द्र दाभोलकर भी तो इसी गति को प्राप्त हुए थे। इस पर पंचायत में, विधान सभा में या लोक सभा में चर्चा हो सकती है। कानूनी भाषा में निर्णायक बात हम नहीं कह सकते।

- **फिर इस टोल को क्या यूँ ही छोड़ देना चाहिए ?**

  एक वकील होने के नाते मैं (राकेश के. सिंह) इस पर सकारात्मक या नकारात्मक क्रियान्वयन को लेकर टिप्पणी नहीं कर सकता। हाँ, गोविंद पंसारे की लड़ाई को राजनीतिक रंग देकर कई पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं ने लड़ाईयाँ लड़ीं, मगर वह निर्णायक मोड़ तक नहीं पहुँच पाई।

- **क्यों ?**

  इस पर भी हम टिप्पणी नहीं कर सकते। वो हार गये या समझौता कर लिया, यह बस सामाजिक मुददा है, राजनीतिक सूत्र है, इस पर कानूनी भाषा में हम कुछ नहीं बोल सकते।

- **आगे क्या करना चाहिए?**

  सरकार सीध हस्तक्षेप करके इसमें सुधार कर सकती है। पैसे वसूली की राशि सरकार की नजर आनी चाहिए और वसूली की अवधि तय होनी चाहिए। निर्माण कम्पनी और सरकार के बीच की ''डील'' में पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि सामान्य जन भी उसे जान सकें, समझ सकें।

प्रस्तुति– उमेश सिंह चंदेल